न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र)

ताराबाई जोजे देवेन्द्र आकाश पालीवाल

निवासी–चावरपाठा,

तहसील तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर म.प्र....................पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. सुभाषचंद आ. स्व. रामचंद पालीवाल
2. राजेन्द्र कुमार आ. स्व. रामचंद पालीवाल

दोनों निवासी–चावरपाठा,

तहसील तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर म.प्र..................उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.संहिता–1959 के अंतर्गत

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण मौजा बीतली, नं.बं.–413, प.ह.नं.–4, तहसील करेली जिला नरसिंहपुर के राजस्व मामला कमांक–91–अ/6 वर्ष 2014–2015 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय नरसिंहपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2016 (की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि का आवेदन का प्रस्तुति दिनांक 29.01.2016 प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि मिलने की दिनांक 01.02.2016) से पीड़ित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करती हैं :–

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता एवं उत्तरवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। उत्तरवादी कमांक–1 द्वारा मौजा बीतली, नं.बं.–413, प.ह.नं.–4, रा.नि.मं.–बरमान तहसील करेली स्थित जमीन खसरा नंबर 246 रकबा 5.366 हे. में से 2.683 हे. जमीन बैनामा दिनांक 28.08.1985 को पुनरीक्षणकर्ता के पति देवेन्द्र कुमार से कय की थी एवं उत्तरवादी कमांक–2 द्वारा भी मौजा बीतली, नं.बं.–413, प.ह.नं.–4, रा. नि.मं.–बरमान, तहसील करेली स्थित जमीन खसरा नंबर 246, रकबा 5.366 हे. में से 2.683 हे. जमीन बैनामा दिनांक 28.08.1985 को पुनरीक्षणकर्ता के पति देवेन्द्र कुमार से कय की थी।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 486–एक/16 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-8-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहपुर के द्वारा प्रकरण कमांक 91/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 6–1–16 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार किया गया है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अवधि बाह्य अपील पेश की गई जिसके साथ धारा 5 अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी पेश किया गया अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण गुणदोष के आधार पर निराकृत किये जाने हेतु ग्राह्य किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । 3/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात अपने विवेक का उपयोग करते हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील को अवधि के अंदर मान्य करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । विलंब क्षमा करना अधीनस्थ न्यायालय के विवेक पर निर्भर है वरिष्ठ न्यायालय केवल यह देख	

निग.- 486 I/16 (नरसिंहपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों का उपयोग विधिवत किया है या नहीं । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विलंब को क्षमा करते हुए प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया गया है । उनके इस आदेश में कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है ना ही कोई विधिक त्रुटि है । आवेदक को प्रकरण के गुणदोषों पर अपना पक्ष रखने का अवसर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है इस कारण इस स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	